

मैनुअल-5

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

4.1 लोक निर्माण संहिता खण्ड-I एवं खण्ड-II के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार पथ निर्माण विभाग के कृत्यों का निर्वाहन होता है।